

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार  
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची;  
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।  
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 18/11/2020

विषय :- वित्तीय वर्ष 2020-21 में जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) अन्तर्गत नई लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण हेतु रुपये 495.889 लाख (रुपये चार करोड़ पंचानबे लाख अठ्ठासी हजार नौ सौ मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।


प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृति संख्या- 63/12.02.2019; (Online स्वीकृति सं. 2097, दिनांक 12.02.2019)

महाशय,


वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष / उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष / उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष / उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष / विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु.)
1	2	3	4	5
1.	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	101-सतही जल/ 19- नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण	05-निर्माण/ 45- निर्माण कार्य  विपत्र कोड- 50S470200101190545	495.889
आवंटित राशि - रुपये चार करोड़ पंचानबे लाख अठ्ठासी हजार नौ सौ मात्र।				

- उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट-1 में अंकित कार्य प्रमंडलों के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
- आवंटित राशि वर्ष 2020-21 के बजट उपबंध राशि रु. 2380.00 लाख (तेईस करोड अस्सी लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि योजना-सह-विभाग (वित्त प्रभाग) के पत्रांक-2018, दिनांक-04.11.2020 के आलोक में विभाग के राज्य योजना के लिये कुल बजट उपबंध के 50% की राशि के अन्तर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 एवं 2747/वि., दिनांक-19.09.2016 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

  
(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)



  
(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

9. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
10. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
11. आवंटित राशि से अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
12. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारत करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
15. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2021 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-15 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

  
(प्रशांत कुमार)  
सचिव

ज्ञापांक :- 113

राँची, दिनांक :- 18/11/2020

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिन्, राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/हजारीबाग/रामगढ़/बोकारो सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


  
(प्रशांत कुमार)  
सचिव

ज्ञापांक :- 113

राँची, दिनांक :- 18/11/2020

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख-I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।



(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)



(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अभि.)



(प्रशांत कुमार)  
सचिव



विभागीय पत्रांक ..... 113

दिनांक ..... 18/11/2020

का अनुलग्नक

परिशिष्ट -1

मुख्य शीर्ष-4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत व्यय

लघु शीर्ष-101-सतही जल,

उप शीर्ष-19-नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण,

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण

बजट उपबंध (2020-21) - रूपये 2380.00 लाख (रूपये तेईस करोड़ अस्सी लाख) मात्र

विपत्र कोड- 50S470200101190545

(राशि लाख रूपये में)

क्र०	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति			एकराशि राशि	मार्च 2020 तक व्यय	वर्ष 2020-21 में			योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (10+13)	Online Allotment Access No.	अभ्युक्ति
					प्रसंग	राशि	Online प्रसंग			पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन			
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, हजारीबाग (H2BMR001)	हजारीबाग	बरही	कच्चावा तरी नाला पर चेकडैम निर्माण	63/2018-19 dt. 12.02.2019	35.388	2097 dt. 12.02.2019	30.579	0.000	0.000	27.001	27.001	27.001	57454	
योग :-						35.388		30.579	0.000	0.000	27.001	27.001	27.001		
2	लघु सिंचाई प्रमंडल, रामगढ़ (RGHMR012)	हजारीबाग	विष्णुगढ़	जमुनिया नाला पर चेकडैम निर्माण	63/2018-19 dt. 12.02.2019	51.107	2097 dt. 12.02.2019	44.194	0.000	0.000	12.116	12.116	12.116	57455	
3				नागी नाला पर श्रृं चेकडैम निर्माण		134.358		117.414	0.000	0.000	76.934	76.934	76.934		
4			चुरवू	अंगो नाला पर चेकडैम निर्माण		59.959		45.606	0.000	0.000	33.411	33.411	33.411		
5				जुआ नाला पर चेकडैम निर्माण		58.624		48.272	0.000	0.000	22.691	22.691	22.691		
6			टाटीझरिया	छुवानरहा नाला पर चेकडैम निर्माण		44.512		37.164	0.000	0.000	25.038	25.038	25.038		
7				कुबरी नदी पर चेकडैम निर्माण		66.754		52.660	0.000	0.000	40.200	40.200	40.200		
8			माण्डू	अगारियागढ़ा नाला पर चेकडैम निर्माण		57.741		47.276	0.000	0.000	19.086	19.086	19.086		
9			गोला	खटागढ़ा नाला पर श्रृं चेकडैम निर्माण		235.299		207.229	0.000	0.000	111.970	111.970	111.970		
10				गधुरडुवा श्रृं चेकडैम निर्माण		179.308		153.346	0.000	0.000	53.420	53.420	53.420		
11			पतरातु	सरना गाढ़ा नाला पर चेकडैम निर्माण		48.069		42.094	0.000	0.000	15.278	15.278	15.278		
12				शियारमुखी नाला पर चेकडैम निर्माण		85.646		75.179	0.000	0.000	38.417	38.417	38.417		
योग :-								1,021.377		870.434	0.000	0.000	448.561		448.561
13	लघु सिंचाई प्रमंडल, बोकारो (BKRMR001)	बोकारो	जरीडीह	हुंडरू (मालूम सोकरा) नदी पर चेकडैम निर्माण	63/2018-19 dt. 12.02.2019	61.935	2097 dt. 12.02.2019	53.027	0.000	0.000	20.327	20.327	20.327	57456	
योग :-						61.935		53.027	0.000	0.000	20.327	20.327	20.327		
सकल योग :-						1,118.700		954.040	0.000	0.000	495.889	495.889	495.889		

(राजेश प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अभि.)(प्रशांत कुमार)  
सचिव